न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/24/2025	2025/90	01.04.2025	02.06.2025

1. रामकिशन पुत्र रामचन्द जाति चमार निवासी कॉलोनी ग्राम जागरू खोह तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. रोहिताश पुत्र अमीचन्द जाति खटीक निवासी कॉलोनी बेढो तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।
2. संजय कुमार पुत्र गिर्राज जाति बलाई निवासी कॉलोनी परता का वास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

3. सरकार जर्ये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

— तरतीबी अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01—श्री गोविन्द राम यादव —वकील प्रार्थी
02—श्री मूलचन्द चौधरी —वकील असल अप्रार्थीगण
03—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —पैरोकार सरकार

—:निर्णय:—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के प्रकरण बउनवान रामकिशन बनाम रोहताश को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मु0 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/वादी ने एक दावा बाबत दरवलयाबी एंव हुक्मईम्तनाई दवामी का न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत किया। जो दावे मे प्रार्थी/वादी ने अपनी आराजी खसरा नंबर 611/352 रकबा 01.0411 वाके ग्राम बेढम में से तरफ दक्षिण का 0.4158 हैक्टेयर आराजी के बारे मे हुक्मईस्तनाई एवं रिकार्ड में अलग तितम्बा काटकर विभाजन के लिये किया था। जिस दावे मे उपजिलाधीश महोदय लक्षमणगढ ने जवाब दावे के पश्चात व कुरेजात रिपोर्ट के लिये तहसीलदार लक्षमणगढ को निर्देशित किया तथा प्रार्थी वादी की गैर मौजूदगी में क क रेजात रिपोर्ट बनाई गई जिसका एतराज प्रार्थी ने अदालत के समक्ष किया था। दिनांक 26/03/2025 की अदालत मातहत में तारीख पेशी नियत थी उस दिन अदालत में प्रार्थी को दिनांक 28/05/25 की तारीख पेशी बताई जो तारीख पेशी पत्रावली पर लीखी हुई है जिस तारीख पेशी को बाद में काट कर 02/04/2025 की नियत करदी जो प्रार्थी की गैर मौजूदगी में की गई थी। प्रार्थी ने इस बाबत जब उपजिलाधीश महोदय से निवेदन किया तो उपजिलाधीश महोदय ने कोई सन्तोष जनक उत्तर नही दिया तथा शिघ्र ही इसका निर्णय करने के लिये कहा जिससे प्रार्थी को उपजिलाधीश महोदय से निष्पक्ष निर्णय करने मे सन्देह है।

अप्रार्थीगण ने भी प्रार्थना पत्र में कहा है कि फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। इससे भी प्रार्थी को उपजिलाधीश महोदय से निष्पक्ष न्याय की सम्भावना नही है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र उपजिलाधीश लक्षमणगढ के विरूद्ध है जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त अनुवानी प्रकरण संख्या 1/221 बअनुवान रामकिशन बनाम रोहताश उपजिलाधीश लक्षमणगढ

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

किसी दीगर न्यायालय मे सीनानित किया जावे व अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो प्रदान की जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब/बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि पैरा संख्या 1 सही है, स्वीकार है। पैरा संख्या 2 गलत है, स्वीकार नही है। दिनांक 28–05–2025 की तारीख बता कर ऑर्डरशीट पर कोई काट कर तारीख पेशी दिनांक 02–04–2025 नियत नही की गई है। पैरा संख्या 3 गलत है, स्वीकार नही है। उक्त प्रार्थनापत्र महज बदयानती पूर्वक प्रकरण में बेजा देरी करने की नियत से पेश किया है। उक्त निर्णय व डिक्री से प्रार्थी को कोई परेशानी है तो वह उसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं किन्तु उसके द्वारा अपील पेश ना कर मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है। पैराहाजा में समस्त तथ्य गलत व मनगढन्त रूप से अंकित कर अदालत श्रीमान को गुमराह करने की कोशिश की गई है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा निष्पक्ष रूप से एवं विधिअनुसार कार्यवाही की जा रही है। पैरा संख्या 4 गलत है, स्वीकार नही है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी हमारे हक में फैसला होने बाबत नहीं कहा। जिलाधीश महोदय निष्पक्ष विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। स्वंय प्रार्थी द्वारा प्रकरण में बेजा देरी करने की नियत से यह प्रार्थनापत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है। पैरा संख्या 5 का जवाब वक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेगे। पैरा संख्या 6, 7 कानूनी है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा और खर्चा खारिज फरमाया जावें आपकी अति कृपा होगी।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि बिन्दु संख्या 01 रामकिशन बनाम रोहिताश वगै० दावा दखलयाबी बजरिये तकसीम बाबत् इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में दिनांक 26.12.24 को प्रारम्भिक डिकी पारित हो चुकी है। दिनांक 19.03.25 को वादी वकील ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाकर नवीन से कुरेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार को लिखा गया है। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.04.2025 नियत है बाकी बिन्दु प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 02 प्रकरण में दिनांक 19.03.25 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.03.25 नियत की गई है एवं इसके पश्चात् 02.04.25 नियत हुई है। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप असत्य है। बिन्दु संख्या 03 व 04 अस्वीकार है, मनगढ़ंत एवं झूठे हैं। बिन्दु संख्या 05 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 06 कोर्ट फीस से संबंधित है। बिंदु संख्या 07 के लिए गौर अदालत श्रीमान हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण विधि के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है, तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)